भारत के संविधान के अनुच्छेद 176 (1) के अधीन

बिहार विधान-मंडल के संयुक्त अधिवेशन में

बिहार के महामहिम राज्यपाल

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी

का

अभिभाषण

11 मार्च, 2015

बिहार विधान मण्डल के माननीय सदस्यगण :

मैं नये वर्ष के प्रथम सत्र के अवसर पर बिहार विधान मण्डल के संयुक्त अधिवेशन में आपको राज्य की खुशहाली एवं बहुआयामी विकास की शुभकामनाएं देता हूँ। इस अति महत्त्वपूर्ण सत्र में बिहार विधान मण्डल के सभी सदस्यों से बिहार के विकास के लिए रचनात्मक भूमिका अदा करने की अपेक्षा करता हूँ। आपके बहुमूल्य सुझाव एवं विमर्श से बिहार की प्रगति को बल मिलेगा।

राज्य सरकार ने सुशासन, पारदर्शिता एवं न्याय के साथ विकास का मूल मंत्र अपनाते हुए समावेशी विकास की नींव रखी है। सरकार ने सुशासन के कार्यक्रम बनाये और उसके आलोक में नीतियों, कार्यक्रमों तथा योजनाओं का सूत्रण कर क्रियान्वयन किया जा रहा है। समाज के साधनहीन एवं विकास से वंचित वर्गों को प्राथमिकता देते हुए बिहार के विकास को नयी दिशा दी गयी है। कुछ वर्षों में ही सार्वजनिक संस्थाओं एवं व्यवस्थाओं का पुनर्निर्माण किया गया है। इस प्रयास से जहाँ एक तरफ प्रभावी विधि व्यवस्था एवं कानून का राज स्थापित करने में सफलता मिली वहीं दूसरी तरफ मानव संसाधन के साथ–साथ उत्तम आधारभूत संरचना के विकास में राज्य सरकार ने कई नई ऊंचाइयाँ हासिल की हैं। बिहार के सतत उच्च विकास दर एवं सुशासन की देश एवं विदेश में चर्चायें हो रही हैं। राज्य सरकार ने लोगों के मन में सुरक्षा का माहौल पैदा किया, जिसका प्रभाव शहर तथा गाँवों में रहने वाले लोगों के आर्थिक एवं सामाजिक गतिविधियों में देखा जा सकता है। न्याय के साथ विकास की नीति ने बिहार को न केवल उच्च विकास दर दिया बल्कि बहुत बड़ी संख्या में गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया है। समाज के हर वंचित तबके के जीवन में व्यापक सुधार कर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने हेतु राज्य सरकार कृत संकल्पित है।

सरकार की प्रथम तथा सर्वोच्च प्राथमिकता राज्य में विधि–व्यवस्था बहाल कर कानून का राज स्थापित करने की रही है। वैधिक प्रक्रियाओं तथा कानूनी साधनों से बिना समझौता किये अपराध तथा अपराधियों के नियंत्रण के लिए स्पष्ट नीति लागू की गई है, जिसका परिणाम देखा जा सकता है। संगठित अपराध पर अंकुश लगाया गया, जिसके फलस्वरूप अपराध के ग्राफ में गिरावट आयी। नियमित तथा त्वरित विचारण प्रणाली से बिहार में न्यायालयों ने 93 हजार से अधिक अपराधियों को सजा सुनायी है। अपराध और अपराधियों पर प्रभावकारी कार्रवाई करने एवं राज्य में शान्ति व्यवस्था अक्षुण्ण रखने के लिए पुलिस को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराये जा रहे हैं और उनके आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है। आतंकवादी गतिविधियों पर नियंत्रण हेतु "आतंकवाद निरोधी दस्ता" का गठन किया गया है।

सैन्य पुलिस के जवानों को काउण्टर नक्सल ऑपरेशन एवं दंगा निरोध का बुनियादी प्रशिक्षण दिया गया है। राज्य में आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए विस्तृत पुनर्वास नीति कार्यरत है। अब तक कुल 278 उग्रवादियों ने राज्य सरकार की प्रत्यर्पण एवं पुनर्वास नीति के अन्तर्गत आत्मसमर्पण किया है। उग्रवादी समस्याओं के समाधान के लिए विकास एवं सुरक्षा से संबंधित कार्य योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराने के उद्देश्य से राज्य के उग्रवाद प्रभावित 23 जिलों में "आपकी सरकार आपके द्वार" कार्यक्रम चलाये गये हैं।

राज्य की जनसंख्या के अनुपात में पुलिस बल की संख्या को राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचाने के लिए पुलिस बल के अधीन 1 हजार 140 पुलिस अवर निरीक्षक, 87 आशु सहायक अवर निरीक्षक, 78 टंकक सहायक अवर निरीक्षक एवं 11 हजार 783 सिपाही के पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से बिहार जिला पुलिस एवं बिहार सैन्य पुलिस बहाली में पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए पूर्व से आरक्षित 3 प्रतिशत पदों के अतिरिक्त 35 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित किये गये हैं। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जन–जाति की महिलाओं के लिए एक अलग बिहार स्वाभिमान बटालियन की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दी गयी है ।

बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम द्वारा वर्ष 2014–15 में कुल 227 भवनों का निर्माण कार्य पूरा किया गया है और 483 भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। मुक्त कारागार को 'ग्रिन बिल्डिंग' के रूप में विकसित करने के लिए 100 के0वी0ए0 का सौर ऊर्जा संयत्र, बिहार रिन्यूएबल इनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा स्थापित करने की कार्रवाई की जा रही है। अग्निशमन हेतु मिस्ट टेक्नोलॉजी के वाहन राज्य के 881 थानों में उपलब्ध कराने हेतु चरणबद्ध रूप से कार्रवाई की जा रही है।

राज्य के विधि विज्ञान प्रयोगशाला को अत्याधुनिक संयत्रों से सुदृढ़ किया गया है। इस वैज्ञानिक अनुसंधान से संवेदनशील कांडों में सटीक साक्ष्य संकलन करने में अनुसंधानकर्ताओं को मदद मिली है। हत्या के मामलों में बायो–मेडिकल साक्ष्य की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रत्येक जिलें में आधुनिक पोस्मार्टम गृह का निर्माण शुरू किया गया है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला में कांड के प्रदर्शो की वैज्ञानिक जांच में तीव्रता लाने हेतु वरीय वैज्ञानिक सहायकों की नियुक्ति की गई है।

राज्य के काराओं में संसीमित बंदियों की सोच में गुणात्मक परिवर्तन तथा उनके नैतिक उत्थान को दृष्टिपथ में रखते हुए काराओं में योग प्रशिक्षण, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, नालंदा

खुला विश्वविद्यालय एवं बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड के माध्यम से प्रशिक्षण हेतु व्यवस्था की गयी है। बंदियों के सहायतार्थ ''अपराध पीड़ित कल्याण न्यास'' का गठन किया गया है जिससे पीड़ित परिवारों के सदस्यों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है।

राज्य सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के विरूद्ध जीरो टॉलरेन्स की नीति को दृढ़तापूर्वक लागू किया जा रहा है। लोक सेवकों द्वारा अर्जित अवैध सम्पत्ति के अधिहरण हेतु बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत राज्य के विशेष न्यायालयों में अद्यतन 55 मामले दर्ज किये गये हैं। अब तक कुल 4 लोक सेवकों की सम्पत्ति राज्यसात् की गयी है।

भ्रष्ट लोक सेवकों को ट्रैप के माध्यम से रंगे हाथ पकड़ने की कार्रवाई की जा रही है। भ्रष्टाचार के विरूद्ध वर्ष 2014 में कुल दर्ज काण्डों की संख्या 98 है जिसमें ट्रैप काण्डों की संख्या 73 है। प्रत्यानुपातिक धनार्जन के 3 एवं पद के दुरूपयोग के 22 मामले दर्ज किये गये हैं। अब तक निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, विशेष निगरानी इकाई एवं आर्थिक अपराध इकाई द्वारा 611 मामलों में दोषियों को रंगे हाथ पकड़ा गया है तथा आय से अधिक सम्पत्ति उपार्जित करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध 102 मामले दर्ज किये गये हैं। पद का दुरूपयोग करने वाले पदाधिकारियों के विरूद्ध कुल 271 मामले चलाये जा रहे हैं।

मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम के अंतर्गत अबतक 44 अपराध कर्मियों की आपराधिक क्रियाकलापों से अर्जित परिसंपत्तियों को जब्त करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय को प्रस्ताव प्रेषित किया गया है तथा 3 अभियुक्तों की परिसंपत्तियां जब्त की गयी हैं। भ्रष्टाचार उन्मूलन अभियान को प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु बिहार निगरानी अन्वेषण संवर्ग नियमावली के तहत निगरानी अन्वेषण ब्यूरो हेतु एक अलग सम्वर्ग के लिए सीधी नियुक्ति राज्य लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से प्रक्रियाधीन है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की अनुसंधान क्षमता को सशक्त करने के उद्देश्य से सेवानिवृत पुलिस उपाधीक्षकों को अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया गया है।

निगरानी मामलों में अनुशासनिक प्राधिकारों द्वारा सख्त कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत विभिन्न संवर्गों के कुल 803 पदाधिकारियों/कर्मियों के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई संचालित है। विभिन्न संवर्गों के कुल 411 कर्मियों को बर्खास्त किया गया है एवं 88 ऐसे कर्मी हैं जिनकी सेवानिवृति के उपरांत पेंशन जब्त करने की कार्रवाई की गयी है।

राज्य सरकार ने त्वरित विकास के लिए राज्य की योजना के आकार में वर्ष–दर–वर्ष उल्लेखनीय वृद्धि की है। राज्य का योजना उद्व्यय जो वर्ष 2005–06 में लगभग 4 हजार 300 करोड़ रूपये था, वर्ष 2014–15 में बढ़कर

51 हजार करोड़ रूपये से अधिक हो गया है। राज्य का राजकोषीय घाटा बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व प्रबंधन अधिनियम, 2006 के अनुसार निर्धारित अधिसीमा 3 प्रतिशत के अधीन है जो कुशल वित्तीय प्रबंधन को परिलक्षित करता है।

बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 के अंतर्गत सभी अधिसूचित सेवाओं में 31 जनवरी, 2015 तक प्राप्त कुल 9 करोड़ 33 लाख आवेदनों में से 9 करोड़ 24 लाख आवेदन निष्पादित किये गये। नागरिकों की सुविधा के मद्देनजर बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम–2011 के तहत वर्ष 2013–14 में तीन महत्त्वपूर्ण सेवाओं यथा–जाति, आय एवं आवासीय प्रमाण–पत्र तत्काल सेवा में सम्मिलित किया गया जो निःशुल्क है। इसके तहत दो दिनों में सेवा उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

राज्य सरकार के अन्तर्गत तकनीकी पदों पर नियुक्ति के लिए एक अलग आयोग–''बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग'' का गठन किया गया है। कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से राज्य के सभी अनुमंडलों के लिए अपर अनुमंडल पदाधिकारी का पद स्थायी रूप से सृजित किया गया है। गृह रक्षकों को अधिकाधिक नियोजन प्रदान करने के लिए सभी विभागों/कार्यालयों में कार्यालय परिचारी के स्वीकृत पदों के अधिकतम 50 प्रतिशत पदों पर गृह रक्षकों को संविदा के आधार पर नियोजित करने संबंधी परिपत्र निर्गत किया गया है।

मुख्यमंत्री नवप्रवर्त्तन प्रोत्साहन योजना में नवप्रवर्त्तकों के समक्ष उत्पन्न होने वाली वित्तीय कठिनाईयों को दूर करने के लिए प्रावधान किये गये हैं। इस योजनान्तर्गत नवप्रवर्त्तन के कार्यो में संलग्न संस्थाएं/व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह/विभिन्न सरकारी विभाग/स्वायत्त संस्थाएँ/निगम/बोर्ड को वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।

राज्य सरकार ने मानव संसाधन की क्षमता संवर्द्धन के लिए शिक्षा पर शुरू से ही ध्यान केन्द्रित किया है। इसके लिए बहुआयामी रणनीति के तहत सरकार ने नये प्राथमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने, नामांकन में वृद्धि लाने, कक्षाओं की संख्या बढ़ाने, शिक्षकों की उपलब्धता एवं उपस्थिति सुनिश्चित करने, प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में उत्क्रमित करने, वंचित वर्गों को स्कूल में दाखिला कराने एवं लड़के–लड़कियों के बीच शिक्षा के अन्तर को दूर करने के लिए अनेक उपाय किये हैं। इन सभी प्रयासों का समेकित परिणाम है कि स्कूलों से वंचित बच्चों की संख्या में निरंतर कमी आई है और स्कूलों में उपस्थिति बढ़ी है। लड़कियों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि देखी जा रही है।

सर्व शिक्षा अभियान के तहत अब तक कुल 21 हजार 419 प्राथमिक विद्यालयों के लक्ष्य के विरूद्ध 20 हजार 906 प्राथमिक विद्यालय खोले जा चुके

हैं जिसमें से 65 नये प्राथमिक विद्यालय वित्तीय वर्ष 2014–15 में खोले गये हैं एवं शेष 513 विद्यालयों को वर्ष के अंत तक खोल देने का लक्ष्य है।

सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय को मध्य विद्यालय में उत्क्रमण की कार्रवाई की जा रही है जिसके फलस्वरूप अब तक कुल 19 हजार 551 विद्यालयों को उत्क्रमित किया गया है एवं 174 प्राथमिक विद्यालयों को वर्ष के अंत तक उत्क्रमित किया जाएगा।

प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में पोशाक, साईकिल, पाठ्य पुस्तक, मध्याह्न भोजन एवं छात्रवृत्ति योजनाओं को अभूतपूर्व सफलता मिली है और इनके आकार में साल दर साल निरंतर वृद्धि होती जा रही है। शिक्षा के प्रति लड़कियों को प्रोत्साहित करने का उद्देश्य से कक्षा 1 से 10 तक अध्ययनरत सभी छात्राओं को प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति का वितरण जिलों में कैम्प लगा कर किया गया है। प्रारम्भिक शिक्षा के विस्तार से माध्यमिक शिक्षा की मांग बढ़ी है।

हर ग्राम पंचायत में एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की स्थापना के नीतिगत फैसले के आलोक में 4 हजार 500 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय विहिन पंचायतों को चरणवद्ध तरीके से आच्छादित किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2013–14 में विद्यालय विहीन पंचायत अंतर्गत 1 हजार 292 उच्च माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना करते हुए शैक्षणिक सत्र प्रारंभ किया गया है। इस वर्ष एक हजार नये उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित करने की स्वीकृति दी गई है।

जन शिक्षा के अंतर्गत 15 से 35 आयु वर्ग की महादलित, अतिपिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं के बुनियादी साक्षरता हेतु तथा 06–14 आयु वर्ग के उपरोक्त समुदाय के बच्चों को विद्यालयी शिक्षा से जोड़ने के लिये महादलित, अल्पसंख्यक एवं अतिपिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना संचालित की जा रही है।

राज्य के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर सभी विश्वविद्यालय से प्राप्त अधियाचना को समेकित करते हुए कुल 3 हजार 345 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु कार्रवाई की जा रही है। राज्य में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के कई प्रस्ताव प्राप्त हुए जिनके विचारण हेतु जाँच समिति गठित की जा चुकी है। पटना जिले के बिहटा में अमेटी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु आशय पत्र भी जारी किया जा चुका है।

व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से सभी प्रमंडलों में एक इंजीनियरिंग कॉलेज, सभी जिलों में पॉलिटेक्निक एवं सभी अनुमंडलों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने की कार्रवाई की जा रही है। राज्य के नागरिकों के चहुमुखी विकास के साथ–साथ उन्हें गरिमापूर्ण जीवन स्तर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मानव विकास मिशन का गठन किया गया है।